पंजीयन क्रमांक ए.आर.एम.डी.एस 512 दिनांक 8.10.90

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित

नाहर सय्यद बाबा दरगाह रोड किटियानी मन्दसौर (म.प्र)

उत्तम सेवा –सहयोग के लिये वचन बद्व

28 वी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 01सितम्बर2019

लेखा जोखा

वर्ष 2017–2018

बुक–पोस्ट

क्रमांक. ./19 दिनांक. / /2019

सदस्यता क्रमांक..........................

श्रीमान/श्रीमति..कार्यालय.....

....म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ....

................जिला मन्दसौर/नीमच (म.प्र.)

....प्रेषक...

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित
नाहर सय्यद बाबा दरगाह रोड़ किटियानी मन्दसौर (म.प्र.) दुर.256381

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर

जावक कमांक...../19 दिनांक

: वार्षिक साधारण सभा की सूचना :–

केवल सदस्यो के लिये

महोदय,

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर की अठाइसवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 01 सितम्बर 2019 रविवार को प्रात : 10.00 बजे '' श्रम शिविर '' अफीम गोदाम रोड मन्दसौर में होगी । निर्धारित समय के पश्चात नियमानुसार गण संख्या (कोरम)की पूर्ति नहीं होने पर सभा स्थगित कि जाकर उसी दिन निर्धारित समय के 30 मिनिट पश्चात सभा का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा । जिसमें गण संख्या पूर्ति होने का प्रतिबंध नहीं रहेगा ।

– कार्य की सूची :–

(1) संस्था में वर्ष 2017–2018 का अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय पत्रक का अनुमोदन करना । (परिशिष्ट–1)

(2) कार्य कारिणी द्वारा किये गये वर्ष 2017–2018 के लाभ के विनियोग की स्वीकृती । (परिशिष्ट–2)

(3) वर्ष 2020–2021 के लिये प्रस्तावित अनुमानित (आयव्यय पत्रक)बजट स्वीकृत करना एंव वर्ष 2018–19 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय जिन मदो में हुआ है अनुमोदन करना । (परिशिष्ट–3)

(4) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) (क) के प्रावधान अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–2022 के लेखाओं की वेधानीक संपरिक्षा हेतु संपरिक्षक/संपरिक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक ।

(5) संस्था के सेवानिवृत सदस्यों का सम्मान व सम्माननिधि राशि के चेक भेंट करना । (परिशिष्ट–4)

(6) संस्था सदस्यों के प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओ का सम्मान । (परिशिष्ट–5)

(7) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

(8) अतिथीयों का उदबोधन ।

(9) संस्था के दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजली,समापन एवं प्रितिभोज ।

नोट :–

(1) वार्षिक साधारण सभा में अगर सदस्य कोई सुझाव रखना चाहते है तो आमसभा के सात दिन पूर्व संस्था को कार्यालयीन समय में लिखित में प्रस्तुत करें ।

(2) लाभांश राशि का वितरण आमसभा के पश्चात किया जावेगा एवं 28फरवरी 2020 तक कार्यालयीन समय में किया जावेगा तथा दिनांक 28–02–2020 तक भुगतान नहीं ले जाने की स्थिति में राशि सदस्य के अनिवार्य संचय खाते में जमा कर दी जावेगी ।

(3) संस्था मुख्यालय से बाहर कार्यरत सदस्यों के कार्यक्षेत्र में संचालक मण्डल के सदस्य भ्रमण कर लाभांश भुगतान की व्यवस्था करेगे ।

(4) आमसभा से संबंधित समस्त विवरण संस्था के वेबसाईट www.mpebesssm.co.in उपलब्ध है ।

मधूसुदन जोशी

प्रबंधक

पंजीयन क्रमांक ए.आर.एम.डी.एस 512 दिनांक 8.10.90

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित

नाहर सय्यद बाबा दरगाह रोड किटियानी मन्दसौर (म.प्र)

उत्तम सेवा –सहयोग के लिये वचन बद्व

28 वी वार्षिक साधारण सभा दिनांक01सितम्बर2019

लेखा जोखा

वर्ष 2017–2018

....प्रेषक...

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित

नाहर सय्यद बाबा दरगाह रोड़ किटियानी मन्दसौर (म.प्र.) दुर.07422 256381

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर

जावक कमांक./19 दिनांक.

: वार्षिक साधारण सभा की सूचना :–
केवल सदस्यो के लिये

महोदय,

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर की अठाइसवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 01 सितम्बर 2019 रविवार को प्रात : 10.00 बजे '' श्रम शिविर '' अफीम गोदाम रोड मन्दसौर में होगी । निर्धारित समय के पश्चात नियमानुसार गण संख्या (कोरम)की पूर्ति नहीं होने पर सभा स्थगित कि जाकर उसी दिन निर्धारित समय के 30 मिनिट पश्चात सभा का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा । जिसमें गण संख्या पूर्ति होने का प्रतिबंध नहीं रहेगा ।

– कार्य की सूची :–

(1) संस्था में वर्ष 2017–2018 का अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय पत्रक का अनुमोदन करना ।

(2) कार्य कारिणी द्वारा किये गये वर्ष 2017–2018 के लाभ के विनियोग की स्वीकृती ।

(3) वर्ष 2020–2021 के लिये प्रस्तावित अनुमानित (आयव्यय पत्रक)बजट स्वीकृत करना करना ।

(4) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) (क) के प्रावधान अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–2022 के लेखाओं की वेधानीक संपरिक्षा हेतु संपरिक्षक/संपरिक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक ।

(5) संस्था के सेवानिवृत सदस्यों का सम्मान व सम्माननिधि राशि के चेक भेंट करना ।

(6) संस्था सदस्यों के प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओ का सम्मान ।

(7) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

(8) अतिथीयों का उदबोधन ।

(9) संस्था के दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजली,समापन एवं प्रितिभोज ।

नोट :–

(1) वार्षिक साधारण सभा में अगर सदस्य कोई सुझाव रखना चाहते है तो आमसभा के सात दिन पूर्व संस्था को कार्यालयीन समय में लिखित में प्रस्तुत करें ।
(2) लाभांश राशि का वितरण आमसभा के पश्चात किया जावेगा एवं 28 फरवरी 2020 तक कार्यालयीन समय में किया जावेगा तथा दिनांक 28–02–2020 तक भुगतान नहीं ले जाने की स्थिति में राशि सदस्य के अनिवार्य संचय खाते में जमा कर दी जावेगी ।
(3) संस्था मुख्यालय से बाहर कार्यरत सदस्यों के कार्यक्षेत्र में संचालक मण्डल के सदस्य भ्रमण कर लाभांश भुगतान की व्यवस्था करेगे ।
(4) आमसभा से संबंधित समस्त विवरण संस्था के वेबसाईट www.mpebesssm.co.in उपलब्ध है ।

मधूसुदन जोशी

प्रबंधक

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर

वार्षिक विवरण–पत्र

सम्मानिय सदस्यगण,

संस्था की प्रबंधकारिणी समिती संस्था की अठाइसवीं वार्षिक साधारण सभा के शुभ अवसर पर आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती है । संस्था के कार्य एवं प्रगति के कार्यो का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । संस्था द्वारा इस अवधि में जो कार्य किये गये एवं जो प्रगति संस्था ने कि है उसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सदस्यता :–

संस्था की सदस्य संख्या 31.3.18 पर 819 थी वर्ष 2018–19 में संस्था में 100 सदस्य ने सदस्यता ग्रहण की वर्ष 2018–19 में 21 सदस्य स्वेच्छा से सेवानिवृत हुए व 5 सदस्य दिवंगत हुए इस प्रकार वर्षान्त 31.3.19 पर संस्था की सदस्य संख्या 945 है ।

अंशपूंजी :–

संस्था की अधिकृत अंशपूंजी में आशा अनुरूप वृद्धि हुई है , दिनांक 31.3.18 की स्थिति में 2,53,28,100.00 रूपये अंशपूजी थी जिसमे वर्ष 2018–19 में 52,39,000.00 रूपये की वृद्धि हुइ सदस्यता समाप्त होने व ऋण की तुलना में अधिक जमा होने के कारण अंशपूंजी रूपये 10,05,500.00 सदस्यों को वापस की गई 31.3.2019 पर अंशपूजी रूपये 2,95,61,600.00 जमा है ।

संस्था की पुंजी से:–

संस्था अपनी पूंजी से ही सदस्यों को ऋण उपलब्ध करा रही है । तथा संस्था सदस्यों द्वारा ऋण का उठाव कम होने से बैंक में म्यादी अमानत जमा करना पड रही है अत : बैंक से केशक्रेडीट की मांग नहीं की गई है ।

ऋण :–

संस्था सदस्यों को निम्नानुसार ऋण स्वीकृत करती है :–

कमांक	ऋण का प्रकार	अधिकतम ऋण	ऋण शेष 31.3.19 पर
1	नगद ऋण	7,00,000	13,22,55,395.00
2	प्लाट एवं मकान ऋण	35,00,000	2,95,50,577.00
3	उच्च शिक्षा ऋण	5,00,000	9,08,444.00
4	चार पहिया ऋण	5,00,000	16,28,160.00
5	अनाज / त्यौहार ऋण	30,000	7,40,155.00
6	दुर्घटना / गंभीर बिमारी ऋण	1,00,000	7,92,969.00

(दुर्घटना एवं अन्य ऋण की विस्तृत जानकारीऋण सुविधाओं में सलग्न है)

शुद्व लाभ :–

संस्था को वर्ष 2017–2018 में 64,39,304.00रूपये का शुद्व लाभ हुआ था । तथा संस्था को वर्ष 2018–2019 में 61,67,685.00 पैसे का शुद्व लाभ हुआ है ।

अनिवार्य संचयी अमानत :–

अनिवार्य संचय अमानत में 31.3.18 पर 7,27,95,521.25 जमा थे वर्ष 2018–2019 में 1,88,29,871.00 ब्याज एवं सेवानिवृत एवं दिवंगत सदस्यो को भुगतान करने के पश्चात वर्षान्त 31.3.19 पर 8,41,71,659.25 संस्था के सदस्यों की अनिवार्य संचयी अमानत जमा है ।

कुटुम्ब सहायता एवं सम्मान निधि :–

वर्ष 2017–2018 में कुटुम्ब सहायता राशि 20,64,162.75 / – रूपये थी वर्ष 2018–2019 में जमा मेसे मृतक 5 सदस्यों के नामांकित उत्तराधिकारीयों एवं सेवानिवृत सदस्यों को सम्माननिधि रूपये भुगतान करने के पश्चात वर्षान्त 31.3.19 पर रूपये 30,15,023.75 इस निधि में जमा है ।

द्वितिय कुटुम्ब सहायता निधि में से प्राप्त ब्याज पर दिवंगत 5 सदस्य के नामिनी को 2,50,000 रूपये का भुगतान किया गया इस मद में 31.3.19 पर रूपये 184547 / – रूपये जमा है । डिपाजीट कुटुम्ब सहायता प्रथम में 31.3.19 पर 58,99,383.00 रूपये जमा है ।

संचालक मण्डल

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित , मन्दसौर (म.प्र.),

म.प्र.वि.म.कर्मचारीपरस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं तस्दीक करता हूॅ कि , मैंने म.प्र.वि.म.कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर का पंजीयन क्रमांक 512 दिनांक 8.10.90 का ऑडिट रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म.प्र. के नियत किए गए तरीकों पर पूरा किया है ।

2. सर्टिफिकेट संस्था के दफतर में रखा है और कारोबार आमतौर पर उचित तरीके पर फायदे के मुताबिक व ईमानदारी से किया गया है ।

दिनांक 1 अप्रेल 2017 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक के हिसाब की जांच की गई है जो गलतियां मिली है, उनका जिक्र ऑडिट नोट में कर दिया गया है । मेरी राय में हिसाब सिल्लक का नक्क्षा मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सूचनाऐं मुझे दी गई है और जैसी कुछ संस्था की किताबों से प्राप्त हुई है , उनके अनुसार संस्था के कारोबार का सच्चा और ठीक–ठीक हाल प्रदर्शित करता है ।
कार्य अच्छा होने से ।

में संस्था को '' अ '' वर्ग में रखता हूॅ ।

स्थानः– मन्दसौर

(ए.पी.एस.बिलोदियां)
अंकेक्षण अधिकारी
म.प्र.वि.म.कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित मन्दसौर

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)

सदस्यों को परिवर्तित ऋण सुविधाएँ

संस्था अपने सदस्यों को निम्न तालिका के अनुसार ऋण स्वीकृत कर प्रत्येक शुक्रवार को संस्था में पूंजी उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाता है ।

(1) नगद ऋण :– 01.03.2018 से प्रभावशील

क.	सदस्यता अवधि	नगदऋण प्रथम	नगद ऋण द्वितीय	नगद ऋण तृतीय
1.	एक माह की सद. से एक वर्ष तक	1,60,000	1,40,000	1,00,000
2.	एक वर्ष से तीन वर्ष तक	2,50,000	2,00,000	1,50,000
3.	तीन वर्ष से अधिक	3,00,000	2,50,000	1,50,000

(2) **प्लाट ऋण एवं मकान ऋण** कुल रूपये 35**,00,000/– (पेंतीस लाख)** रूपये मात्र का भुगतान किया जाता है (प्लाट क्रय हेतु अधिकतम राशि 15 लाख)।

(3) **उच्च शिक्षा ऋण** शैक्षणिक संस्था के मांग पत्र के आधार पर अधिकतम राशि 5**,00,000/–(पांच लाख)** का भुगतान सीधे शैक्षणिक संस्था को किया जाता है ।

(4) **चार पहिया वाहन ऋण** अधिकतम 8**,00,000/–(आठ लाख)** रूपये जिन्होने मकान/प्लाट ऋण नहीं लिया है उन्हे ही इसकी पात्रता आती है ।

(5) **अनाज/त्यौहार ऋण :–** अधिकतम रूपये 30**,000/– (तीस हजार)** रूपये मात्र भुगतान वर्ष में एक बार किसी भी त्यौहार पर अथवा माह अप्रेल/मई में अनाज ऋण का भुगतान किया जाता है ।

(6) **दुर्घटना गंभीर बिमारी ऋण** :–30,000/–(तीस हजार) व बाहर रेफर करने पर अधिकतम 1,0**0,000/–**(एक लाख)रूपये मात्र।

संविदा सदस्यों को ऋण सुविधाएँ

संस्था अपने संविदा सदस्यों को निम्न तालिका के अनुसार ऋण स्वीकृत कर प्रत्येक शुक्रवार को संस्था में पूंजी उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाता है ।

नगद ऋण :–

क	**सदस्यता अवधि**	**नगदऋण प्रथम**	**नगद द्वितीयनगद तृतीय**
1.	**एक माह की सद. से एक वर्ष तक**	**1,00,000**	**50,00040,000**
2.	**एक वर्ष से तीन वर्ष तक**	**1,30,000**	**70,00050,000**
3.	**तीन वर्ष से अधिक**	**1,50,000**	**90,00060,000**

संचालक मण्डल को उक्त ऋण सीमा में समय–समय पर परिवर्तन किये जाने का अधिकार रहेगा ।

उक्त ऋण सीमा में समय–समय पर संचालक मण्डल द्वारा धन की उपलब्धता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

संस्था के सदस्यों को नगदी प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय द्वितीय ऋण मिलाकर ऋण की अधिकतम सीमा 7,00,000/ – अक्षरी सातलाख रूपये मात्र है ।

जो सदस्य कुटुम्ब कल्याण निधि के सदस्य नहीं है उन्हें केवल 100000/ –(एक लाख) मात्र तक के ऋण भुगतान की पात्रता होगी । अन्य सदस्यों के लिये लागू ऋण सीमा की

सुविधा भी सदस्य अगर स्वयं के जीवन पर जीवन बिमा निगम की चालू पॉलिसी संस्था के नाम बंधक रखते है तो पूरी ऋण सीमाका लाभ प्राप्त कर सकते है । पूर्व में लिये गये ऋण की 50 प्रतिशत अदायगी रकम जमा करने के पश्चात अगले माह में पुनः ऋण लेने की पात्रता होगी । विशेष परिस्थितियों में उसी माह में भी स्वीकृत कर भुगतान किया जा सकेगा ।

संस्था में सभी ऋण चेक से ही भुगतान किये जाते है ।

शंकरलाल खरे संचालक ऋण समिति	एस.के.सोलंकी संचालक ऋण समिति	डी.एस.चन्द्रावत अध्यक्ष ऋण समिति

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)
संचालक मण्डल के ठहराव क 18 दिनांक 27.06.2017 के निर्णय अनुसार

संस्था में ऋणों पर लागु ब्याज दरें

1.मकान, प्लाट क्रय, मकान निर्माण चार पहिया वाहन ऋण —9 प्रति. वार्षिक मासिक कटमिति पद्वति से

2.नगद ऋणो पर

प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अनाज क्रय के लिये — 10 प्रतिशत वार्षिक मासिक कटमिती पद्वति से,

3.उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर —9 प्रतिशत से

4.दुर्घटना / गंभीर बीमारी ऋण —9 प्रतिशत से

5.अनिवार्य संचय अमानत पर :— संस्था अपने सदस्यों को अनिवार्य संचय अमानत राशि जमा पर 8 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करती है । एवं प्रत्येक वर्ष दीपावली पूर्व ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है ।

म.प्र.विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित , मन्दसौर (म.प्र.),

दिनांक1 सितम्बर 2019, रविवार को संस्था की अठाईसवी वार्षिक साधारण सभा के शुभ अवसर पर अपने समस्त सदस्यों शुभचिंतकों तथा अमानतदारो का

हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है ।

आवश्यक जानकारीः–

(1) संस्था की कुटुम्ब कल्याण सहायता योजना की निधि से किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नामिनी को रूपये 100000 की सहायता व द्वितिय कुटुम्ब सहायता योजना के सदस्य की मृत्यु होने पर 50000/– इस प्रकार कुल रकम 1.50 लाख का भुगतान किया जाता है, बशर्त कि द्वितिय कुटुम्ब सहायता योजना में सदस्य ने 6 माह की सदस्यता पूर्ण कर ली हो ।

(2) सदस्य की दुर्घटना मृत्यु पर संस्था की और से 1 लाख रूपये की दुर्घटना सहायता भुगतान की जाती है । बशर्त बीमा फार्म पूर्ण भरकर संस्था में प्रस्तुत कर दिया हो ।

(3) सदस्य की अधिवार्षीकी आयु सेवा निवृति पर संस्था में सदस्यता अवधि वर्षो की गणना पर प्रतिवर्ष 2000 रूपये के मान से कुटुम्ब सहायता के सदस्यों को सम्मान निधि एवं श्रीफल शाल भेंट कर आमसभा में सम्मानित किया जाता है ।

(4)मांगलिक कार्य हेतु सहकार भवन उपलब्ध है ।

(5) ऋण आवेदन पर बैंक व शाखा का नाम तथा बैंक खाता क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य है ।

(6) सदस्यों का स्थानांतरण होने पर संस्था को आवश्यक रूप से सूचित कर नया पता सूचित करें ।

(7) उत्तराधिकारी के साथ स्वंय का पासपोर्ट फोटो देवें व संस्था के दस्तावेजों में हस्ताक्षर करें ।

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)

संस्थापक अध्यक्ष स्व.श्री आर.एल.जोशी

................................वर्तमान संचालक मण्डल................................

1. श्री डी.एस.चन्द्रावत	अध्यक्ष	9425078855
2. श्री एस.सी.श्रीवास्तव	संचालक	9424034062
3 श्री शंकरलाल खरे	संचालक	9407101779
4 श्री जाहिद हुसेन	संचालक	9424537906
5 .श्री एस.के.सोलंकी	संचालक	9424538551
6.श्री एम.एल.पाण्डे	संचालक	9713693255
7. श्रीदिनेश कुमार श्रीवास्तव	संचालक	9926065284
8.श्रीमति नेहा सोमपुरा	संचालक	8989997073

....**कार्यालयीन कर्मचारी**..

1. श्री मधुसूदन जोशी	प्रबंधक	9407161228
2. श्री एस.एल.शर्मा	लेखापाल	9406640235
3. श्री राजेश शर्मा	लिपिक	8518053235
4. श्री विनोद कुमार पंवार	लिपिक	9755213633
5. श्री भरत कुमार शर्मा	लिपिक	9981108679
6. श्री रविन्द्रसिंह चौहान	भृत्य	8827068777